

कार्यालय जिला कलक्टर (आपदा प्रबंधन एवं सहायता) प्रतापगढ़

Ph- 01478-223366

Email:- dm-pra-rj@nic.in

क्रमांक:-आ.प्र.एवंसहा./आंधी-तूफान/2023-24/स्वीकृति/2023/707

दिनांक: 15/09/2023

-: प्रशासनिक स्वीकृति :-

जिला प्रतापगढ़ के तहसील क्षेत्र धरियावद व अरनोद में आधी-तूफान से पक्का मकान आंशिक क्षति पर पीड़ित को क्षतिपूर्ति हेतु निम्नांकित प्रकरण बाद अनुशंषा आर्थिक सहायता हेतु भिजवाया गया है।

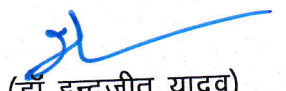
अतः उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार धरियावद व अरनोद की अनुशंषा के आधार पर एवं राज्य आपदा मोचन कोष और राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष के वर्ष 2022-23 से 2025-26 के नवीन संशोधित मानदण्डों के बिन्दु संख्या ब (10)(ख)-1 में वर्णित प्रावधानानुरूप व कनिष्ठ अभियन्ता की रिपोर्ट अनुसार पीड़ित व्यक्तियों को उसके नाम के सम्मुख अंकित राशि बतौर आधी-तूफान से पक्का मकान आंशिक क्षति होने से हुई क्षतिपूर्ति हेतु एतद् द्वारा स्वीकृत की जाती है।

क्र.स.	पीड़ित का नाम व पता	दुर्घटना तिथि एवं विवरण	स्वीकृत राशि
01	श्री मुकेश पिता रतनलाल बलाई निवासी मोवाई तहसील अरनोद	दिनांक 28.05.2023 को आधी-तूफान से पक्का मकान आंशिक क्षतिग्रस्त होने पर।	6500 / -
02	श्री चेतमल पिता रतनलाल बलाई निवासी मोवाई तहसील अरनोद	दिनांक 28.05.2023 को आधी-तूफान से पक्का मकान आंशिक क्षतिग्रस्त होने पर।	6500 / -
03	श्री कुबेरसिंह पिता मोड़सिंह झाला निवासी धरियावद तहसील धरियावद	दिनांक 03.06.2023 को आधी-तूफान से पक्का मकान आंशिक क्षतिग्रस्त होने पर।	6500 / -
कुल योग			19500 / -रु.

(अक्षरे उन्नीस हजार पाँच सौ रुपये मात्र)

नोट:-

- राशि का आहरण निम्न लेखा मद से किया जायेगा:
2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, 02- बाढ़/चक्रावात, 113-घर की मरम्मत, पुनःनिर्माण हेतु सहायता (09)-बाढ़ क्षेत्र में घर की मरम्मत/पुनः निर्माण के लिए सहायता, 07- आंशिक क्षतिग्रस्त घर, 12- सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)
- राशि के आहरण एवं व्यय में आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों तथा इस कार्यालय से समय-2 पर जारी आदेशों/निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।
- आवंटित राशि से अधिक व्यय नहीं किया जावे।
- स्वीकृत राशि का भुगतान अविलम्ब किया जावे।


(डॉ इन्द्रजीत यादव)

जिला कलक्टर एवं प्रमुख,
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, प्रतापगढ़
दिनांक: 15/09/2023

क्रमांक:-आ.प्र.एवंसहा./आंधी-तूफान/2023-24/स्वीकृति/2023/708-13

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- संयुक्त शासन सचिव महोदय, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राजस्थान जयपुर।
- वित्तीय सलाहकार, आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राज. जयपुर।
- उपखण्ड अधिकारी धरियावद व अरनोद।
- तहसीलदार, धरियावद व अरनोद।
- जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी प्रतापगढ़।
- लेखा अनुभाग, कार्यालय हाजा को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं प्रभारी
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, प्रतापगढ़